

प्रेषक,

के०डी० भट्ट,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य विधि आलेख अधिकारी,
विभागाध्यक्ष, (विभागाध्यक्ष कोड 4664)
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विधायी प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड शासन।।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधायी प्रकोष्ठ)

देहरादून: दिनांक: 02 अप्रैल, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या 07 लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवाये-090-सचिवालय-00-आयोजनेतर-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृति आय-व्ययक की कुल ₹37,49,000.00 मात्र (₹ सैंतीस लाख उनचास हजार मात्र) के सापेक्ष संलग्न अलोटमेन्ट आई०डी० संख्या S1404070006 दिनांक 02 अप्रैल, 2014 के अनुसार भिन्न-भिन्न मानक मदों में कुल ₹33,59,000.00 मात्र (₹ तैंतीस लाख उनसठ हजार मात्र) के आय-व्ययक को निम्न शर्त के साथ आवंटित करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. वचनबद्ध मदों में स्वीकृत आय-व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दिया जाय कि उक्तवत आवंटित मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
2. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों में स्वीकृत आय-व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दिया जाय कि उक्तवत आवंटित मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय एवं न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
3. पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-०८ में अंकित प्रतिमाही विलम्बतम 07 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय हो करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
6. उक्त सभी मदों में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. उक्त धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
8. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. शासनादेश संख्या-321/xxvii(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012, शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. स्वीकृत आय-व्ययक को शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 पर दी गयी व्यवस्थानुसार ऑन लाईन अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों के निर्घटन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(के0डी0 भट्ट)
प्रमुख सचिव।

संख्या - 01 / XXXVI(3) / विधायी प्रकोष्ठ / 2014-15 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग 5, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, (डाटा सेन्टर) 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

220
2-4-14
(के0डी0 भट्ट)
प्रमुख सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (S058)

आवंटन पत्र संख्या - 01/XXXVI(3)V.P./2013-14

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1404070006

आवंटन पत्र दिनांक - 02-Apr-2014

HOD Name - Chief Legal Drafting Officer (4664)

लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें
090 - सचिवालय
00 - विधायी प्रकोष्ठ

00 -

12 - विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	750000	750000
03 - महंगाई भत्ता	0	825000	825000
04 - यात्रा व्यय	0	10000	10000
06 - अन्य भत्ते	0	99000	99000
08 - कार्यालय व्यय	0	25000	25000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	20000	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	15000	15000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	0	150000	150000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	1250000	1250000
22 - आतिथ्य व्यय विशेषक भत्ता आ	0	5000	5000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	100000	100000
42 - अन्य व्यय	0	50000	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	50000	50000
	0	3359000	3359000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3359000

526
के.डी. भट्ट
प्रमुख सचिव
विधायी एवं संसदीय कार्य
उत्तराखण्ड शासन